

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अधिशोषी अधिकारी, नगर पंचायत, बुगरासी/औरंगाबाद (बुलन्दशहर), नगर पंचायत दौराला (मेरठ)।

नगर विकास विभाग-7

लखनऊ : दिनांक १२ मार्च, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभिन्न नागर निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि संबंधित नागर निकायों द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध कराया जायेगा:-

| क्रसं | जनपद का नाम | नागर निकाय का नाम | शासनादेश संख्या एवं दिनांक, जिसके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। | स्वीकृति धनराशि (लाख रु में) |
|-------|-------------|----------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बुलन्दशहर | नगर पंचायत, बुगरासी | 3/2015-4084/नौ-7-15-7बजट/2015, दिनांक 28.12.2015 | 09.90 |
| 2 | बुलन्दशहर | नगर पंचायत, औरंगाबाद | 4/2016-1595/नौ-7-16-4बजट/2016, दिनांक 28.03.2016 | 50.00 |
| 3 | मेरठ | नगर पंचायत, दौराला | 286/2015-4649/नौ-5-15-197बजट/2014, दिनांक 14.08.2015 | 40.00 |

2. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-615(1)/नौ-7-17-6(बजट)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. संबंधित अध्यक्ष, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र.शासन।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।